न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्रीमति कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 120/2013

वादी :—

01. ममता पुत्री सुरेश
02. माया पुत्री सरेश

वादी संख्या 01 व 02 नाबालिक जरिए कुदरती वलिया माता भुण्डीदेवी पत्नी. सुरेश कुमार जातियान चौकीदार निवासी— साण्डिया तहसील सोजत जिला— पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

01. मांगीलाल पुत्र छोटू
02. सुरेश पुत्र मोगीलाल जातियान चौकीदार निवासीयान साण्डिया तहसील सोजत जिला— पाली।
03. तीजादेवी पत्नी गिरधारी
04. मोहनलाल पुत्र गिरधारी
05. वालाराम पुत्र गिरधारी
06. गोरधनलाल पुत्र गिरधारी जातियान मेघवाल निवासीयान— साण्डिया तहसील सोजत
07. तहसीलदार सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 53 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितिः—

1. श्री ताराचंद भाटी एवं श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री कल्पेश गोयल अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 27/05/24

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 88 92 ए 188 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा साण्डिया पटवारी हल्का साण्डिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अटपडा में रिवाईज सैटलमेन्ट में खसरा नम्बर 662, 663/01, 663/03, 996/01, 1078/01 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.6850 हैक्टर की भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि के अलावा खसरा नम्बर 296 रकबा 1.1600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या एक का 01/03 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। इस खसरे में 02/03 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 06 का आता है। कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.6850 हैक्टर भूमि वादीगण के दादा के स्वयं की हक हकूक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। वादग्रस्त कृषि भूमि के रिवाईज सैटलमेन्ट के पूर्व पुराने खसरा नम्बर 883, 1161, 1164, 1507, 1566 कुल खसरा 05 कुल रकबा साढे अठारह बिघा दो बिस्वा जो जमाबंदी संवत् 2010 से 2019 ऐनेक्सर 'ए' तथा खसरा नम्बर 400, 401, 461, 402 कुल खसरा 04 कुल रकबा सवा चौवालिस बिघा चार बिसवा की भूमि जमाबंदी संवत् 2010 से 2019 ऐनेक्सर 'बी' अनुसार दर्ज है। वादीगण के पूर्वज धूला वल्द नरींगा के खातेदारी की थी। स्वर्गीय धूला के जोराजी, छोटूजी, मिश्रा तीन पुत्र हुए। छोटू फौत होने से उनका एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या एक मांगीलाल है। वादीगण के परदादा छोटू के पिता धूला की वादग्रस्त भूमि है। सैटलमेन्ट के पूर्व 2028 से 2031 में धूला वल्द नरींगा के नाम से सवा इकसठ बिघा भूमि इन्द्राजसुदा है तथा जमाबंदी 2046 से 2049 एवं 2050 से 2053 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 663, 996, 1078, 1501, 1588, 662 कुल खसरा 06 कुल रकबा 9.50 हैक्टर इन्द्राजसुदा है तथा आपसी विभाजन से पद संख्या एक में वर्णित रिवाईज सैटलमेन्ट के नए खसरा नम्बर जो पद संख्या एक में वर्णित किए गए है तथा रकबे अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है जो जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 अनुसार ऐनेक्सर 'सी' व 'डी' है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वजों के समय से हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। वादीगण के दादा एवं पर दादा छोटूजी तथा छोटूजी के पिता धूलाजी की खातेदारी की हैं वादीगण प्रतिवादी संख्या एक के पुत्र प्रतिवादी संख्या दो सुरेश की पुत्रियां होने से प्रतिवादी एक के वादीगण वारिसान है। प्रतिवादी संख्या एक

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

एंव प्रतिवादी संख्या दो तथा वादीगण के परदादा व उनके पिता धूला के समय से संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार प्रतिवादी संख्या एक व उसके भाईयों के मध्य रहा है। छोटूराम के स्वर्गवास के पश्चात् भी संयुक्त अविभक्त परिवार प्रतिवादी संख्या एक तथा प्रतिवादी संख्या दो का आज भी चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या एक को उसके पिता छोटू धूला के पुत्र होने से एवं पूर्वजों की हक हकूक खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है एवं वादीगण संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार के सहदाय की है। छोटूराम जो वादीगण के परदादा है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी संख्या एक का रेकर्ड में कर्ता खानदान होने से इन्द्राज हुआ है। वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में जीवित पैदा होते ही हक हिस्सा अर्जित हो गया है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का वादग्रस्त आराजीयात में 01/04–01/04 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। वादीगण की माता भुण्डीदेवी का प्रतिवादी संख्या दो के साथ मानिक जाति रिती रिवाज के अनुसार व हिन्दु विधि से सप्तपदी की रस्म पूर्ण करते हुए आज से करीब 20 वर्ष पूर्व हुई थी एवं शादी के पश्चात वादीगण की माता व प्रतिवादी संख्या दो के सहवास से वादीगण के पूर्व तीन सन्ताने पैदा हुई जिनमें दो लडके एवं एक लडकी पैदा हुई परन्तु उन तीन संतानों का स्वर्गवास हो गया एंव वादी संख्या एक जब एक वर्ष की थी एवं वादी संख्या दो जो वादीगण की माता भुण्डीदेवी के गर्भ में थी उस समय भुण्डीदेवी को प्रतिवादी संख्या एक व दो ने घर बदर कर किया। वादी संख्या दो जीवित पैदा हुई व आज भी जीवित है जिससे वादी संख्या दो के पैदा होते ही वादग्रस्त कृषि भूमि में हक हकूक खातेदारी अधिकार अर्जित हो गए है। वादीगण की माता को क्रूरतार्पूक व्यवहार करके एवं दहेज की पूर्ति नहीं करने के कारण उसे घर बदर कर प्रतिवादी सुरेश की दूसरी शादी भी विधि विरूद्ध रूप से इद्रा देवी के साथ करवा दी। प्रतिवादी कमांक दो द्वारा वादीगण की माता के जीवनकाल में एवं सक्षम न्यायालय में तलाक हुए बिना जो दूसरी शादी की है उक्त शादी शून्य है तथा इन्द्रा देवी कानूनन प्रतिवादी संख्या दो की पत्नी नहीं है जिससे भविष्य में प्रतिवादी संख्या दो व इन्द्रादेवी के सहवास से कोई संतान पैदा होगी तो उसे कानूनन प्रतिवादी संख्या एक व दो की सम्पति में कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। प्रतिवावदीगण तीन लगायत छ के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज 02/03 हिस्से से वादीगण किसी प्रकार का खातेदारी अधिकारी क्लेम नहीं करते है। प्रतिवादी संख्या एक के इन्द्राज 01/03 हिस्से से ही अपना हिस्सा क्लेम करते है। प्रतिवादीगण तीन लगायत छ को सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है।

इसं प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने यह राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम साण्डिया के रिवाईज सैटलमेन्ट के खसरा नम्बर 662, 663/1, 663/3, 996/1, 1078/1 कुल खसरा पांच कुल रकबा 2.6850 हैक्टर भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 01/04–01/04 यानि 01/02 हिस्सा आता है व खसरा नम्बर 296 रकबा 1.1600 हैक्टर में वादीगण का 01/06 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है, जिसका राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त अनुसार वादीगण का हिस्सा इन्द्राज किए जाने तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के ऐनेक्सर 'सी' की भूमि कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.685 हैक्टर का वादीगण का 01/02 हिस्सा तथा ऐनेक्सर 'डी' खसरा नम्बर 296 रकबा 1.1600 हैक्टर का 01/06 हिस्सा माप एवं सीमांकन से बंटवाडा कराया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाने व राजस्व रेकर्ड में भी तरमीम किये जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 13.02.2012 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा दिनांक 13.02.2012 को जबाब दावा पेश कर अंकित किया कि सरहद मौजा साण्डिया पटवारी हल्का साण्डिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अटपडा में रिवाईज सैटलमेन्ट में खसरा नम्बर 662, 663/01, 663/03, 996/01, 1078/01 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.6850 हैक्टर की कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या एक मांगीलाल की खातेदारी कब्जा काश्तसुदा आई हुई स्थित है जो उक्त भूमि बंटवाडा दिनांक 07.07.2006 के तहत म्यूटेशन संख्या

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

1508/01 के तहत राजस्व रेकर्ड में दर्ज की है तथा ग्राम सांडिया के खसरा नम्बर 296 रकबा 1.1600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि आई हुई है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या एक का 01/03 हिस्सा हक, हकूक खातेदारी का कब्जा काश्तशुदा है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त अवभिक्त हिन्दू परिवार की सम्पति नहीं रही है बल्कि बंटवाडा दिनांकित 07.07.2006 के तहत वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 01 के हक हिस्से में आई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं हुए है और वादीगण अविभक्त हिन्दू परिवार के सहदायकी नहीं है। वादीगण के परदादा के स्वर्गवास हुआ तब वादीगण पैदा नहीं हुई थी तो परदादा की सम्पति में वादीगण का सहदायकी होने का कथन झूठा व बेबुनियाद है। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वंशावली भी वर्णित नहीं की है वादीगण का जन्म कब हुआ था उसके परदादा का देहान्त कब हुआ इनकी कोई तारीख भी इन्द्राज नहीं की है तथा वादीगण वादग्रस्त आराजीयात में कौनसे से दिन तारीख को सहदायकी बने और कौनसी तारीख को वादग्रस्त आराजीयात में हक उत्पन्न हुआ जिनका वर्णन नहीं करने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि वादीगण के दादा की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त आराजीयात प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या एक मांगीलाल के हक में निहित हुई है। वादीगण छोटूराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है। बल्कि प्रतिवादीगण संख्या एक मांगीलाल हैं वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का 01/04–01/04 हक हिस्सा कानूनन किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या एक का कानूनन हक हिस्सा इन्द्राज है जो सही है। प्रतिवादीगण के सुरेश, संतोष, लीला, पिस्ता, पिंकी, रेखा, पत्नी शांतिदेवी वारिसान है। जो सभी जीवित है ताकि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 की भविष्य मृत्यु के पश्चात् उनके उक्त सात प्रथम श्रेणी के वारिसान में कानूनन निहित होगी तथा भविष्य में प्रतिवादीगण संख्या दो सुरेश की मृत्यु के पश्चात् वादीगण के हिस्से में वादग्रस्त आराजीयात का 01/07 वां हिस्सा में से उनका हिस्सा उत्पन्न होगा जबकि वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का 01/04–01/04 किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं होने से वो यह वाद खातेदारी की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात के प्रतिवादी संख्या एक रेकर्डेड खातेदार काश्कार है जिनके विरूद्ध कानूनन स्थाई निषधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

विशेष उजरातः– उक्त वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पति नहीं रही है बल्कि बंटवाडा दिनांकित 0.07.2006 के तहत वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से में आई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजीयात मे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं हुए है और वादीगण अविभक्त हिन्दू परिवार के सहदायकी नहीं है। वादीगण के परदादा के स्वर्गवास हुआ तब वादीगण पैदा नहीं हुई थी तो परदादा की सम्पति में वादीगण का सहदायकी होने का कथन झुठा व बेबुनियाद है। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वंशावली भी वर्णित नहीं की है तथा वादीगण का जन्म कब हुआ तथा उसके परदादा का देहान्त कब हुआ इनकी कोई तारीख भी इन्द्राज नहीं की है तथा वादीगण वादग्रस्त आराजीयात में कौन से दिन व तारीख को सहायकी बने और कौनसी तारीख को वादग्रस्त आराजीयात में हक उत्पन्न हुआ जिनका वर्णन नहीं करने से वादीगण का वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। वास्तकिता यह है कि वादीगण के दादा की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त आराजीयात प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 01 मांगीलाल के हक में निहित हुई है। वादीगण छोटूराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है बल्कि प्रतिवादी संख्या 01 मांगीलाल है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का 01/04–01/04 हक हिस्सा कानूनन किसी भी प्रकार से नहीं बना है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 01 का कानूनन हक हिस्सा इन्द्राज है जो सही है। प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र सुरेश, पुत्री संतोष, पुत्री लीला, पुत्री पिस्ता, पिंकी, रेखा, पत्नी शांतिदेवी है। जो सभी जीवित है तथा वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी नम्बर 01 के भविष्य मृत्यु के पश्चात् उनके उक्त सात प्रथम श्रेणी के वारिसान में कानून निहित होगी तथा भविष्य में प्रतिवादी संख्या 02 सुरेश

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

की मृत्यु के पश्चात् वादीगण के हिस्से में वादग्रस्त आराजीयात का 01/07 वां हिस्सा में से उनका हिस्सा उत्पन्न होगा जबकि वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण का 01/04–01/04 किसी भी प्रकार से उत्पन्न नही होने से वो यह वाद खातेदारी की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। इस प्रकार जवाब दावा पेश कर वाद को खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है। दिनांक 1.01.2024 को अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत मूल वाद में से बंटवाडे के अनुतोष को स्ट्रक आउट करने का पेश किया, सा0मि0 किया गया। माफिक ईश्तदुआ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंटवाडे की ईश्तदुआ स्ट्रक आउट की जाती है।

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी द्वारा पस्तुत जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

01 आया वादस्थ भूमि मौजा साण्डिया तह0 सोजत के खसरा नंबर 662, 663/1, 663/3, 996/1, 1078/1 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.6850 है0 में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा खसरा नंबर 296 रकबा 1.1600 है0 की भूमि वादीगण का 1/6 हिस्सा होने के कारण वादीगण उपरोक्त हिस्सानुसार खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है, क्योंकि उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी है।

(जिम्मेवादीगण)

02 आया वादीगण अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित करवाकर वादस्थ भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने की अधिकारी है।

(जिम्मेवादीगण)

03 आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

(जिम्मेवादीगण)

04 आया दिनांक 12.11.2011 को वादस्थ आराजीयात पर वादीगण के जरिए उनकी वलिया को कब्जा काश्त नहीं करने देने से तथा वादीगण के अधिकारो को मरहूम करने की नियत से वादस्थ आराजीयात के विक्रय, दान, बक्शीश व हस्तांतरण करने की धमकी देने के कारण बिनायदावा उत्पन्न हुआ है।

(जिम्मेवादीगण)

05 अनुतौष।

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण के पी–डब्ल्यु –1 भूण्डी देवी द्वारा प्रस्तुत तस्दीक सुदा शपथ – पत्र के मुख्य परीक्षण पर बयान कलमबद्ध करवाये जाकर दस्तावेज प्रदर्श–1 से प्रदर्श –14 को प्रदर्शित किये गये। अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से पुनःपरीक्षण शुन्य रहा। इसी प्रकार अन्य शहादत वादीगण पी डब्ल्यु –2 अमराराम के बयान कलमबद्ध किये गये। अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से जिरह का अवसर समाप्त किया गया तथा पुनः परीक्षण शून्य रहा। अधिवक्ता वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये जिसमें सहरद मौजा सांडिया के खसरा नम्बर 662, 663/1, 663/3, 996/1, 1079/1, की सम्वत 2066 से 2069 की जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्रदर्श–1 है। खसरा नम्बर 296 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –2 है। नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –03 , 04 , 05 है। खसरा मिलान की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–6 है। सम्वत 2010 से 2019 की खतौनी बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श – व प्रदर्श 8 है। सम्वत2046 से 2049 की जमाबन्दी की प्रतिलिति प्रदर्श 9 व प्रदर्श 10 है। सम्वत 2050 से 2053 की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 11 व प्रदर्श 12 है। सम्वत 2028 से 2031 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –13 है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये पारिवारिक सेटलमेन्ट के लिखित की प्रति प्रदर्श–14 है। जिन्है प्रदर्शितकरवाये गये जिरह प्रति शुन्य रही।

बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा साण्डिया के रिवाईज सैटलमेन्ट में खसरा नम्बर 662, 663/01, 663/03, 996/01, 1078/01 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.6850 हैक्टर की भूमि स्थित है उक्त भूमि वादीगण के दादा के स्वयं की हक हकूक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। उक्त कृषि भूमि के अलावा खसरा नम्बर 296 रकबा 1.1600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या एक का 01/03 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। वादग्रस्त कृषि भूमि के रिवाईज सैटलमेन्ट के पूर्व पुराने खसरा नम्बर 883, 1161, 1164, 1507, 1566 कुल खसरा 05 कुल रकबा साढे अठारह बिघा दो बिस्वा जो जमाबंदी संवत् 2010 से 2019 ऐनेक्सर 'ए' तथा खसरा नम्बर 400, 401, 461, 402 कुल खसरा 04 कुल रकबा सवा चौवालिस बिघा चार बिसवा की भूमि जमाबंदी संवत् 2010 से 2019 ऐनेक्सर 'बी' अनुसार दर्ज है। वादीगण के पूर्वज धूलाल वल्द नरींगा के खातेदारी की थी। स्वर्गीय धूला के जोराजी, छोटूजी, मिश्रा तीन पुत्र हुए। छोटू फौत होने से उनका एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या एक मांगीलाल है। वादीगण के दादा एवं पर दादा छोटूजी तथा छोटूजी के पिता धूलोजी की खातेदारी की है। वादीगण प्रतिवादी संख्या एक के पुत्र प्रतिवादी संख्या दो सुरेश की पुत्रियां होने से प्रतिवादी एक के वादीगण वारिसान है। प्रतिवादी संख्या एक एंव प्रतिवादी संख्या दो तथा वादीगण के परदादा व उनके पिता धूला के समय से संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार प्रतिवादी संख्या एक व उसके भाईयों के मध्य रहा है। वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में जीवित पैदा होते ही हक हिस्सा अर्जित हो गया है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का वादग्रस्त आराजीयात में 01/04–01/04 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। वादीगण अपने हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि में हक हकूक खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। वादीगण की माता भुण्डीदेवी का प्रतिवादी संख्या दो के साथ माफिक जाति रिती रिवाज के अनुसार व हिन्दु विधि से सप्तपदी की रस्म पूर्ण करते हुए आज से करीब 20 वर्ष पूर्व हुई थी एवं शादी के पश्चात वादीगण की माता व प्रतिवादी संख्या दो के सहवास से वादीगण के पूर्व तीन सन्ताने पैदा हुई जिनमें दो लडके एवं एक लडकी पैदा हुई परन्तु उन तीन संतानों का स्वर्गवास हो गया एंव वादी संख्या एक जब एक वर्ष की थी एवं वादी संख्या दो जो वादीगण की माता भुण्डीदेवी के गर्भ में थी उस समय भुण्डीदेवी को प्रतिवादी संख्या एक व दो ने घर बदर कर किया। वादी संख्या दो जीवित पैदा हुई व आज भी जीवित है जिससे वादी संख्या दो के पैदा होते ही वादग्रस्त कृषि भूमि में हक हकूक खातेदारी अधिकार अर्जित हो गए है। वादग्रस्त कृषि भूमि में पद संख्या एक में वर्णित कुल खसरा 05 में वर्णित भूमि कुल रकबा 2.6850 हेक्टर भूमि में वादीगण का 01/02 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है तथा खसरा नम्बर 296 रकबा 1.1600 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या एक का इन्द्राज 01/03 हिस्से में वादीगण का 01/02 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजीयात में वादीगण 01/06 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आने से वादीगण को तदोनुसार खातेदार काश्तकार किये जाने की ईश्तदुआ। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा साण्डिया पटवारी हल्का साण्डिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अटपडा में रिवाईज सैटलमेन्ट में खसरा नम्बर 662, 663/01, 663/03, 996/01, 1078/01 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.6850 हैक्टर की कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या एक मांगीलाल की खातेदारी कब्जा काश्तसुदा आई हुई स्थित है जो उक्त भूमि बंटवाडा दिनांक 07.07.2006 के तहत म्यूटेशन संख्या 1508/01 के तहत राजस्व रेकर्ड में दर्ज की है तथा ग्राम साण्डिया के खसरा नम्बर 296 रकबा 1.1600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि आई हुई है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या एक का 01/03 हिस्सा हक, हकूक खातेदारी का कब्जा काश्तसुदा है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पति नहीं रही है बल्कि बंटवाडा दिनांकित 07.07.2006 के तहत वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 01 के हक हिस्से में आई है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जालोर)

Scanned with CamScanner

के अनुसार वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं हुए है और वादीगण अविभक्त हिन्दू परिवार के सहदायकी नहीं है। वादीगण के परदादा के स्वर्गवास हुआ तब वादीगण पैदा नहीं हुई थी तो परदादा की सम्पति में वादीगण का सहदायकी होने का कथन झुठा व बेबुनियाद है। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वंशावली भी वर्णित नहीं की है वादीगण का जन्म कब हुआ था उसके परदादा का देहान्त कब हुआ इनकी कोई तारीख भी इन्द्राज नहीं की है तथा वादीगण वादस्थ आराजीयात में कौने से दिन तारीख को सहदायकी बने और कौनसी तारीख को वादग्रस्त आराजीयात में हक उत्पन्न हुआ जिनका वर्णन नहीं करने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि वादीगण के दादा की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त आराजीयात प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या एक मांगीलाल कें हक में निहित हुई है। वादीगण छोटूराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है। बल्कि प्रतिवादीगण संख्या एक मांगीलाल हैं वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का 01/04–01/04 हक हिस्सा कानूनन किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या एक का कानूनन हक हिस्सा इन्द्राज है जो सही है। प्रतिवादीगण के सुरेश, संतोष, लीला, पिस्ता, पिंकी, रेखा, पत्नी शांतिदेवी वारिसान है। जो सभी जीवित है ताकि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 की भविष्य मृत्यु के पश्चात् उनके उक्त सात प्रथम श्रेणी के वारिसान में कानूनन निहित होगी तथा भविष्य में प्रतिवादीगण संख्या दो सुरेश की मृत्यु के पश्चात् वादीगण के हिस्से में वादग्रस्त आराजीयात का 01/07 वां हिस्सा में से उनका हिस्सा उत्पन्न होगा जबकि वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का 01/04–01/04 किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं होने से वो यह वाद खातेदारी की घोषणा, वंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जवाब दावा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण पर लिये गये बयानात एवं स्वतंत्र गवाहो के बयानात के आधार पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

01. **आया वादस्थ भूमि मौजा साण्डिया तह0 सोजत के खसरा नंबर 662, 663/1, 663/3, 996/1, 1078/1 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.6850 है0 में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा खसरा नंबर 296 रकबा 1.1600 है0 की भूमि वादीगण का 1/6 हिस्सा होने के कारण वादीगण उपरोक्त हिस्सानुसार खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है, क्योंकि उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी है।**

(जिम्मेवादीगण)

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–6 खसरा मिलान ग्राम साण्डिया तहसील सोजत का पेश किया। इस खसरा मिलान में वादीगण के दादा का नाम वादस्थ भूमि के सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नम्बरान 883, 1161, 1164, 1507, 1566, 883, तथा खसरा नम्बरान 400, 401, 461, 402 मे बतौर खातेदार दर्ज सुदा है। सेटलमेन्ट के पश्चात उक्त खसराजात की भूमि से बने नये खसरानम्बरान 663, 996, 1078, 1501, 1588, 662, 296 की जमावन्दी सम्वत 2046–49 प्रदर्श–08, जमावन्दी सम्वत 2050–53 प्रदर्श–12 में ढगलीया वादरीया पि0 जोरा 1/3, मांगीलाल पुत्र छोटुराम 1/3 मांगीलाल पुत्र छोटुराम, मिसरीया पुत्र धुला 1/3 कौम बावरी अंकित है। मांगीलाल पुत्र छोटुराम वादीगण के दादा है। इससे यह सपष्ट होता है कि उक्त वादस्थ भूमि पैतृक एवं पुश्तैनी है। वादीगण के पिता का वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 663, 996, 1078, 1501, 1588, 662, की भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया है। वादी के पिता के कुल 04 उतराधिकारी होने से वादी हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत उक्त पुश्तैनी भूमि में सें वादी के दादा सहित पिता व दोनो पुत्रिया (वादीगण) का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

अर्थात सम्पूर्ण आराजीयात में वादीगण का 1/6 बनता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 296 में प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के दादा का 1/3 हिस्सा 1/2 हिस्सां बनता है। जिससे सम्पूर्ण आराजीयात में वादीगण का 1/6 हिस्सा खातेदारी का होने की सम्पूष्टि होती है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

02. **आया वादीगण अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित करवाकर वादस्थ भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने की अधिकारी है।**

(जिम्मेवादीगण)

अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी सम्वत खसरा मिलान प्रदर्श प्रदर्श–6, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2010–11 प्रदर्श–7,8, जमाबन्दी सम्वत 2046 से 2049 प्रदर्श –9,10 जमाबन्दीसम्वत 2050 से 53 प्रदर्श –11–12, जमाबन्दी सम्वत 2028 से 31 प्रदर्श– 13 से यह स्पष्ट होता है कि वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक है। प्रस्तुत तस्दीक शुदा शपथ पत्र व मुख्य परीक्षण हेतु कलमबद्ध करवाये गये बयानात से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की पौत्री व प्रतिवादी संख्या 02 की पुत्रिया है। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत पैतृक पुश्तैनी भूमि में पौत्री का भी अधिकार उनके जीवन काल से ही समाहित होता है जिससे वादीगण खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। तथा अपने हक हिस्से का पृथक से बंटवाडा करवाकर खाता अलग करवाने के अधिकारी है। लिहाजा तनकी संख्या 02 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

03 **आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।**

(जिम्मेवादीगण)

वादीगण द्वारा इस विवादक के संदर्भ में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने से यह प्रमाणित है कि वादीगण का वादस्थ भूमि में नोशनल शेयर आता है। जो इस न्यायालय द्वारा पूर्व के विवादक से पुख्ता होते है जिसके संबंध में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द्ध किये जाने बाबत पुख्ता साक्ष्य पत्रावली में मौजूद है। जिसे अनुसार उक्त विवादक वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

04 **आया दिनांक 12.11.2011 को वादस्थ आराजीयात पर वादीगण के जरिए उनकी वलिया को कब्जा काश्त नहीं करने देने से तथा वादीगण के अधिकारो को मरहूम करने की नियत से वादस्थ आराजीयात के विक्रय, दान, बक्शीश व हस्तांतरण करने की धमकी देने के कारण बिनायदावा उत्पन्न हुआ है।**

(जिम्मेवादीगण)

वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिवचन व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से वाद कारण उत्पन्न होना साबित किया है। जिसका प्रतिवादी द्वारा जिरह में किसी प्रकार का खण्डन नही किया गया है। इसलिए उक्त विवादक वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध तय किया जाता है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, बयान गवाह पी0डब्ल्यु 01 श्रीमति भूण्डीदेवी के बयानात, प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजात तथा का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्षो की दलीलों पर गौर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 (ए) 188, 53 आर टी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर मौजा साण्डिया के गत खसरा नम्बरान 883, 1161, 1164, 1507, 1566, 883, तथा खसरा नम्बरान 400, 401, 461, 402 मे वादीगण के दादा बतौर खातेदार दर्ज सुदा है। सेटलमेन्ट के पश्चात उक्त खसराजात की भूमि से

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

बने नये खसरानम्बरान 663, 996, 1078, 1501, 1588, 662, 296 की जमाबन्दी सम्वत 2046–49 प्रदर्श–08, जमाबन्दी सम्वत 2050–53 प्रदर्श–12 में छगलीया बावरीया पि0 जोरा 1/3, मांगीलाल पुत्र छोटुराम 1/3 मांगीलाल पुत्र छोटुराम, गिरधीया पुत्र धुला 1/3 कौम बावरी अंकित है। मांगीलाल पुत्र छोटुराम वादीगण के दादा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्थ भूमि पैतृक एवं पुश्तैनी हे। वादीगण के पिता का वादग्रस्थ भूमि खसरा नम्बर 663, 996, 1078, 1501, 1588, 662, की भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया है। वादी के पिता के कुल 04 उतराधिकारी होने से वादी हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत उक्त पुश्तैनी भूमि में से वादी के दादा सहित पिता व दोनो पुत्रिया (वादीगण) का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा होता है। अर्थात सम्पूर्ण आराजीयात में वादीगण का 1/6 बनता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 296 में प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के दादा का 1/3 हिस्सा 1/2 हिस्सा बनता है। जिससे सम्पूर्ण आराजीयात में वादीगण का 1/6 हिस्सा खातेदारी का होने की सम्पुष्टि होती है। प्रतिवदी द्वारा अपने जवाब दावा में वादीगण के अतिरिक्त अन्य और वारिसान है किन्तु प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता अपने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को साक्ष्य सबुत व शहादत के जरिये साबित करने में विफल रहे है। इसके अतिरिक्त न ही वाद में पक्षकार संयोजित करने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कायम की गई तनकीयात 01 से 04 भी वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की गई है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है। डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम साण्डिया के रिवाईज सैटलमेन्ट के खसरा नम्बर 662, 663/1, 663/3, 996/1, 1078/1 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.6850 हैक्टर भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 01/12–01/12 यानि 01/06 हिस्से व खसरा नम्बर 296 रकबा 1.1600 हैक्टर में वादीगण का 01/06 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 27/05/... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादी :–

01. ममता पुत्री सुरेश
02. माया पुत्री सरेश

वादी संख्या 01 व 02 नाबालिक जरिए कुदरती वलिया माता भुण्डीदेवी पत्नी सुरेश कुमार जातियान चौकीदार निवासी– साण्डिया तहसील सोजत जिला– पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

01. मांगीलाल पुत्र छोटू
02. सुरेश पुत्र मोगीलाल जातियान चौकीदार निवासीयान साण्डिया तहसील सोजत जिला– पाली।
03. तीजादेवी पत्नी गिरधारी
04. मोहनलाल पुत्र गिरधारी
05. वालाराम पुत्र गिरधारी
06. गोरधनलाल पुत्र गिरधारी जातियान मेघवाल निवासीयान– साण्डिया तहसील सोजत
07. तहसीलदार सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 53 आर0टी0एक्ट0 1955

राजस्व वाद संख्या :– 120/2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री **श्री ताराचंद भाटी एवं श्री देवेन्द्र व्यास** तथा **श्री कल्पेश गोयल अधिवक्ता प्रतिवादीगण** पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम साण्डिया के रिवाईज सैटलमेन्ट के खसरा नम्बर 662, 663/1, 663/3, 996/1, 1078/1 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.6850 हैक्टर भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 01/12–01/12 यानि 01/06 हिस्से व खसरा नम्बर 296 रकबा 1.1600 हैक्टर में वादीगण को 01/06 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27/05/13 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

Scanned with CamScanner